तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 5045 / श्रीगंगानगर** **समाऊन बनाम हाकमअली आदि**	नम्बर व तारीख
14.8.19	**एकल–पीठ** **श्री नत्थूराम, सदस्य** उपस्थित श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 / 1, 2 / 2, 7 व 8 नम तर्कः– अप्रार्थीगण संख्या 3, 4 **निर्णय** 1. यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ (जिसे आगे ''**विचारण न्यायालय**'' कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 40 / 2005 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे ''**काश्तकारी अधिनियम**'' कहा जायेगा) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं। 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगराकार ने एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत गैर निगराकार संख्या–1 लगायत 6 के विरूद्ध आराजी चक 9 एस.डी. के खाता नम्बर 2200 / 42 पत्थर नम्बर 103 / 387, पत्थर नम्बर 105 / 388, पत्थर नम्बर 104 / 389, पत्थर नम्बर 104 / 388, पत्थर नम्बर 103 / 388 कुल 6.325 हैक्टर बाबत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया। गैर निगराकार संख्या 7 व 8 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया जो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2005 द्वारा स्वीकार किया है जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी / वादी ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 7 व 8 का प्रार्थना पत्र विवादित भूमि में वारिसान की हैसियत से प्रस्तुत किया गया था तथा विवादित भूमि में अपना हक व हिस्सा होने का कथन किया था। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर उन्हें पक्षकार संयोजित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यदि उनका कोई हक व हिस्सा है तो इस हेतु वे अलग से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु वादी के विभाजन के वाद में पक्षकार नहीं बन सकते क्योंकि वादी रिकॉर्डिड खातेदार है तथा वादी ने गैर निगराकार संख्या 7 व 8 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा। इन्होंने आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ द्वारा वाद संख्या 13 / 2006 समाऊन बनाम विकास अधिकारी में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। उन्होंने प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 5045 / श्रीगंगानगर** **समाऊन बनाम हाकमअली आदि**	नम्बर व तारीख

दिनांक 11.06.2018 स्वीकार कर गैर निगराकार संख्या 3 व 4 का नाम तर्क करने हेतु भी निवेदन किया। इन्होंने यह भी कथन किया कि वारिस प्रमाण पत्र जो 20.07.2005 को जारी किया गया था उपरोक्त निर्णय से प्रभावशून्य घोषित हो गया है जिससे गैर निगराकार संख्या 7 व 8 को पक्षकार नहीं माना जा सकता। इन्होंने निगरानीधीन निर्णय निरस्त करने हेतु अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 7 व 8 का मुख्य आधार मूल खातेदार गुलाम अली के वारिसान की हैसियत से है तथा वारिस प्रमाण पत्र निरस्त होने से यह नहीं माना जा सकता कि वे गुलाम अली के वारिसान नहीं हैं क्योंकि माननीय सिविल न्यायालय ने उपरोक्त वारिस प्रमाण पत्र जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं माना है। तथा इस आदेश की अपील भी अभी विचाराधीन है । इन्होंने आदेश 22 नियम 4 एवं 10ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–
7. प्रकरण में गैर निगरानीकर्ता द्वारा आदेश 22 नियम 4 एवं 10ए सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैर निगराकार संख्या 2 की मृत्यु होने के कारण उसके स्थान पर उसके वारिसान मु0 गफुरा बेगम पत्नी श्री आशिक हुसैन उर्फ आशिक अली एवं मुन्जुरा बेगम पत्नी मुन्शफ अली पुत्री आशिक हुसैन उर्फ आशिक अली को गैर निगराकार संख्या 2/1, 2/2 के रूप में संयोजित किया जाता है। निगरानी के शीर्षक में लाल स्याही से उपरोक्तानुसार अंकन हो।
8. निगराकार द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2018 स्वीकार किया जाकर माननीय सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ द्वारा वाद संख्या 13/2006 समाऊन बनाम विकास अधिकारी में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपी रिकार्ड पर ली जाती है क्योंकि यह निगरानी प्रस्तुत करने के बाद का राजकीय दस्तावेज है तथा विवाद से सम्बन्धित वारिसान का महत्वपूर्ण बिन्दू इस निर्णय में निस्तारित किया गया है।
9. निगराकार द्वारा गैर निगराकार संख्या 3 व 4 का नाम तर्क करने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2018 स्वीकार किया जाकर इनका नाम तर्क किया जाता है। तद्नुसार लाल स्याही से अंकन हो। अप्रार्थी संख्या 5 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी हुए हैं पर उपस्थित नहीं है ।
10. विचाराधीन प्रकरण में गैर निगराकार ने एक वाद अन्तर्गत धारा–53, 209

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 5045 / श्रीगंगानगर** **समाऊन बनाम हाकमअली आदि**	नम्बर व तारीख

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत गैर निगराकार संख्या–1 लगायत 6 के विरूद्ध आराजी चक 9 एस.डी. के खाता नम्बर 2200 / 42 पत्थर नम्बर 103 / 387, पत्थर नम्बर 105 / 388, पत्थर नम्बर 104 / 389, पत्थर नम्बर 104 / 388, पत्थर नम्बर 103 / 388 कुल 6.325 हैक्टर बाबत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया। गैर निगराकार संख्या 7 व 8 द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया जो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2005 द्वारा स्वीकार किया है जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी / वादी ने यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। गैर निगराकार संख्या 7 व 8 का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र इस आधार पर था कि विवादित भूमि गुलाम पुत्र मांजू के नाम थी तथा उनकी माता इमामसेन, गुलाम की पुत्री थी जो फौत हो चुकी है तथा वे श्री गुलाम के जायज वारिसान हैं जिससे उनका भी विवादित भूमि में हक व हिस्सा है तथा दावे में आवश्यक पक्षकार हैं। प्रकरण में माननीय सिविल न्यायाधीश, सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.04.2015 द्वारा सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2005 निरस्त हो चुका है जिसमें इमामसेन को श्री गुलाम की पुत्री होना दर्शाया है। इस प्रकार जब वारिस प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है तो इमामसेन व फलस्वरूप उनके वारिसान गैर निगराकार संख्या 7 व 8 का कोई हित प्रभावित नहीं माना जा सकता। यदि वारिसान से सम्बन्धित उपरोक्त बिन्दू पर विचार नहीं भी किया जाये तो भी मात्र विभाजन के वाद में अन्य कोई व्यक्ति हक व हिस्सा होने के आधार पर पक्षकार नहीं बन सकता क्योंकि विभाजन रिकॉर्डेड खातेदार के मध्य होता है तथा यदि कोई पक्ष अपना हिस्सा बताता है तो वह अलग से अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध गैर निगराकार संख्या 7 व 8 को पक्षकार बनाया है। इस प्रकार निगरानी स्वीकार योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.09.2019 को उपस्थित हों। विचारण न्यायालय को यह भी निर्देशित दिये जाते हैं कि जो पक्षकार इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हैं उन्हें पुनः विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें।
12. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 2005 / 5045 / श्रीगंगानगर** **समाऊन बनाम हाकमअली आदि**	नम्बर व तारीख